e No. SECY-T-MISC/3/2022-SECRETARY-TRANSPORT-Transport Department (Computer No. 4
/80758/2022

/80758/2022

MD 13/XII/22

BR-50

3959

मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2022 को सम्पन्न आई.एस.बी.टी., देहरादून/अन्य बस अड्डों के विकास/संचालन एवं सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित महानुभावों एवं अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:--

(1) श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, मा. मंत्री, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
(2) श्री चन्दन राम दास, मा. मंत्री, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
(3) श्री विनोद चमोली, मा. विधायक, विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर ।
(4) श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
(5) श्री आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास उत्तराखण्ड शासन।
(6) श्री आर.के. सुधांशु, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं वन, उत्तराखण्ड शासन।
(7) श्री अरविन्द सिंह ह्यॉकी, सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(8) श्री सविन बंसल, अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
(9) श्री विनीत कुमार, अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं वन, उत्तराखण्ड शासन।
(10) श्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल, अपर सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
(11) श्री मुख्तार मोहसिन, पुलिस उपमहानिरीक्षक/निदेशक, यातायात, उत्तराखण्ड।
(12) श्रीमती सोनिका, जिलाधिकारी, देहरादून/उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
(13) श्री रोहित मीणा, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।
(14) श्री अयाज़ अहमद, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
(15) श्री सनत कुमार सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
(16) श्री दीपक जैन, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।
(17) श्री मोहन सिंह, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

2. सर्वप्रथम सचिव, परिवहन द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी, मा. मंत्री जी, मा. विधायक एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात मा. मुख्यमंत्री जी की अनुमति से प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा आई.एस.बी.टी. एवं अन्य बस अड्डों के सम्बन्ध में तथा संयुक्त परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, लीड एजेन्सी द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसका सार निम्नवत् है:--

(1) आई.एस.बी.टी./बस अड्डों की समीक्षा:

क. अन्तर्राज्यीय बस अड्डा (आई.एस.बी.टी.) देहरादून के संचालन की समीक्षा:--

(i) बैठक में अवगत कराया गया कि आई.एस.बी.टी. देहरादून का संचालन बीओटी के आधार पर रैम्की कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा रैम्की कम्पनी के साथ किए गए बीस वर्षीय अनुबन्ध की अवधि जुलाई, 2023 में समाप्त हो रही है। प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि रैम्की कम्पनी पर रू0 14.00 करोड़ की देयता है, जिसमें से परिवहन निगम द्वारा रू0 3.00 करोड़ की धनराशि प्राधिकरण को भुगतान की जानी है। बस अड्डे के साथ ही लगभग 3 एकड़ भूमि पर व्यवसायिक कॉम्पलैक्स का संचालन कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।

(ii) वर्तमान में रैम्की कम्पनी द्वारा आई.एस.बी.टी. की आंतरिक प्रबन्धन व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप यात्रियों को विविध प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, आई.एस.बी.टी. के बाहर से सवारियों को चढ़ाने-उतारने, वाहनों की पार्किंग कर दिए जाने, अवैध अतिक्रमण होने तथा फ्लाई ओवर का लाभ आई.एस.बी.टी. के संचालन में न मिलने की समस्याएं भी विद्यमान हैं।

ख. निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित अन्य बस अड्डों की समीक्षा:--

(i) अवगत कराया गया कि देहरादून के अतिरिक्त ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी एवं टनकपुर में भी आधुनिक आई.एस.बी.टी. का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। इनमें से ऋषिकेश, रामनगर एवं टनकपुर के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। हरिद्वार में रिंग रोड/बाईपास का निर्माण हो जाने तथा वर्तमान में हरिद्वार बस अड्डा शहर के मध्य होने के दृष्टिगत नया आई.एस.बी.टी. रिंग रोड/बाईपास के समीप स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता है। कोटद्वार में भूमि की तलाश की जा रही है और हल्द्वानी में वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर लम्बित है।

(ii) प्रदेश के अन्य स्थानों पर बस अड्डा निर्माण के अंतर्गत रूद्रपुर में पी.पी.पी. मोड पर निर्माण कार्य गतिमान है तथा भवाली, अल्मोड़ा, श्रीनगर, नैनीताल, खटीमा, हरबर्टपुर, गदरपुर एवं किच्छा में निर्माण कार्य चल रहा है। भगवानपुर एवं लक्सर में बस अड्डा निर्मित हो चुका है जिसका शीघ्र संचालन प्रारम्भ किया जाएगा। डोईवाला, नरेन्द्रनगर, रानीखेत, झबरेड़ा आदि अन्य स्थानों पर भी नए बस अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है। काशीपुर एवं रूड़की में भी वर्तमान बस अड्डे शहर के मध्य हो जाने के दृष्टिगत उन्हें बाईपास के समीप स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

Generated from eOffice by NAND RAM SINGH, SO-TRANSPORT-NRS, SO-TRANSPORT, Transport Department on 05/12/2022 10:57 AM

/80758/2022

(2) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों की समीक्षाः

(i) राज्य अन्तर्गत वर्ष 2022 में माह सितम्बर तक कुल 1219 वाहन दुर्घटनाओं में 750 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 1010 दुर्घटनाओं में 579 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में अधिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण चारधाम यात्रा के दौरान अपेक्षाकृत अधिक यात्रियों का आवागमन रहा है।

(ii) वाहन के श्रेणीवार दुर्घटना में कारों से लगभग 26 प्रतिशत, मध्यम एवं भारी भार वाहनों से लगभग 22 प्रतिशत, दुपहिया वाहनों से लगभग 17 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सवारी वाहनों से लगभग 11 प्रतिशत दुर्घटनाएं घटित हुई हैं।

(iii) मैदानी जनपदों देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं नैनीताल में लगभग 85 प्रतिशत वाहन दुर्घटनाएं घटित हुई, जिनमें लगभग 85 प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हई। मैदानी जनपदों में भी उधमसिंह नगर जनपद में सर्वाधिक व्यक्तियों (230) की मृत्यु हुई।

(iv) क्षेत्र के आधार पर राज्य में शहरी क्षेत्र में घटित 49 प्रतिशत दुर्घटनाओं में 35 प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्र में घटित 51 प्रतिशत दुर्घटनाओं में लगभग 65 प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(v) दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण के अनुसार लगभग 76 प्रतिशत दुर्घटनाएं वाहन चालक के खतरनाक/लापरवाही से वाहन चलाने अथवा ओवरस्पीडिंग के कारण हुई हैं।

(vi) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अभी तक किए गए एवं प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत है:–

क. रोड इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में:

(a) राज्य में चिन्हित कुल 165 ब्लैक स्पॉट में से अभी तक 123 ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है, अवशेष 42 ब्लैक स्पॉट हेतु कार्यवाही गतिमान है।

(b) कुल चिन्हित 2537 दुर्घटना संभावित स्थलों में से अभी तक 1634 स्थलों के सुधारीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है एवं अवशेष 903 के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

(c) क्रैश बैरियर स्थापना हेतु चिन्हित कुल 5311 कि.मी. के सापेक्ष 3171 कि.मी. में क्रैश बैरियर/पैराफिट स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सुधार हेतु कुल चिन्हित 3857 जंक्शन में से 1245 जंक्शन पर ट्रैफिक कामिंग उपाय किये गये हैं।

(d) रोड मार्किंग हेतु चिन्हित कुल 8174 कि.मी. के सापेक्ष 5368 कि.मी. में रोड मार्किंग तथा रोड साईनेज हेतु चिन्हित 9800 कि.मी. के सापेक्ष 5379 कि.मी. पर रोड साईनेज स्थापित किये गये हैं।

(e) राज्य में मुख्य मार्गों पर कुल 15432 कि.मी. के सापेक्ष अभी 4591 कि.मी. मार्ग भाग का रोड सेफ्टी ऑडिट करा लिया गया है।

(f) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सड़कों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धित उपायों के क्रियान्वयन हेतु विभागीय बजट का 10 प्रतिशत बजट प्राविधानित किया जाना चाहिए परन्तु विभाग को इसके सापेक्ष प्राप्त होने वाला बजट अपेक्षाकृत कम रहता है।

ख. प्रवर्त्तन कार्यवाही के सम्बन्ध में:

(a) वित्तीय वर्ष 2021–22 में परिवहन विभाग द्वारा माह सितम्बर, 2022 तक कुल 62623 वाहनों का चालान करते हुए 2808 वाहनों को थाने में निरूद्ध किया गया, जिनसे रूपये 1301.42 लाख प्रशमन शुल्क की वसूली की गयी। इसी प्रकार, पुलिस विभाग द्वारा कुल 315000 वाहनों का चालान करते हुए 11011 वाहनों को थानों में निरूद्ध किया गया और रूपये 1753.27 लाख प्रशमन शुल्क वसूला गया।

(b) तीव्र गति से वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए स्पीड रडार गन के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा कुल 15022 एवं पुलिस विभाग द्वारा 11644 वाहनों का चालान किया गया। इसी प्रकार, सीट बैल्ट/हैल्मेट न पहनने पर पुलिस विभाग द्वारा 45517 एवं परिवहन विभाग द्वारा 18402 वाहनों का चालान किया गया।

ग. ऑटोमेशन सम्बन्धी कार्य:

(a) प्रवर्त्तन की कार्यवाही में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के दृष्टिगत प्रथम चरण में 11 स्थानों पर ए.एन.पी.आर. कैमरों की स्थापना की जा रही है, जिसके लिये कार्यदायी संस्था के साथ करार कर लिया गया है।

(b) चालक लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले चालकों की परीक्षा आटोमेटेड रूप में लिये जाने हेतु प्रत्येक उपसंभाग में आटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। अभी तक देहरादून एवं हरिद्वार में उक्त ट्रैक तैयार हो चुका है, जबकि 05 अन्य स्थानों पर भूमि प्राप्त हो गयी है। उक्त ट्रैक्स पर मोबाईल आधारित सॉफ्टवेयर से परीक्षा की व्यवस्था की गयी है।

(c) वाहनों की फिटनेस आटोमेटिक रूप से किये जाने हेतु देहरादून एवं रूद्रपुर में निजी क्षेत्र में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना की गयी है, जबकि हरिद्वार एवं हल्द्वानी के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। ऋषिकेश एवं कोटद्वार में उक्त टेस्टिंग लेन की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की जा रही है।

Generated from eOffice by NAND RAM SINGH, SO-TRANSPORT-NRS, SO-TRANSPORT, Transport Department on 05/12/2022 10:57 AM

3. बैठक में सम्यक चर्चा के उपरान्त मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये:–

क. आई.एस.बी.टी./बस अड्डों के सम्बन्ध में:–

(1) जिलाधिकारी, देहरादून/उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि देहरादून में संचालित वर्तमान आई.एस.बी.टी. का करार सम्बन्धित संस्था के साथ माह मई, 2023 में समाप्त होने के दृष्टिगत उक्त तिथि के पश्चात् आई.एस.बी.टी. के संचालन एवं रख–रखाव हेतु एम.डी.डी.ए., नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करते हुए कार्ययोजना (Comprenshive and integreated plan) तत्काल तैयार की जाए। इसके अतिरिक्त, लघुकालीन उपायों के अन्तर्गत आई.एस.बी.टी. के सौन्दर्यीकरण, साफ–सफाई एवं जन सुविधाओं से सम्बन्धित कार्यों को एम.डी.डी.ए. द्वारा तत्काल करा लिया जाए।

(2) आई.एस.बी.टी. के बाहर से संचालित वाहनों को आई.एस.बी.टी. के भीतर से ही संचालित कराया जाए ताकि मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त, आई.एस.बी.टी. के आस–पास से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी तत्काल की जाए।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के समय में यह व्यवस्था थी कि "किसी प्रकार का अतिक्रमण पाये जाने पर सम्बन्धित थाने की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी"। नगर निगम/गृह विभाग द्वारा इस व्यवस्था का परीक्षण करते हुए उसे राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(4) देहरादून नगर निगम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में यातायात के दबाव को कम करने के दृष्टिगत हर्रावाला, डोईवाला एवं सेलाकुई में बस अड्डों के निर्माण/विस्तारीकरण की कार्ययोजना तैयार की जाए।

(5) हरिद्वार में आई.एस.बी.टी. के सन्दर्भ में निर्देशित किया गया कि जनपद हरिद्वार के महत्त्व, भविष्य में चारधाम यात्रा में बढ़ोत्तरी तथा यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत शहरी विकास विभाग तथा परिवहन विभाग मिल कर मास्टर प्लान तैयार करें जिससे हरिद्वार में उपयुक्त स्थान पर आई.एस.बी.टी. का निर्माण किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पांच कि.मी. की परिधि तक सरकारी भूमि अथवा निजी भूमि का चयन किया जाय।

(6) रानीखेत/ताड़ीखेत में बस स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि ताड़ीखेत में बस स्टेशन काफी दूर हो जायेगा, अतः प्रयास किया जाय कि कैन्टोनमेन्ट बोर्ड से भूमि लेकर रानीखेत में ही बस स्टेशन का निर्माण किया जाय। इसके अतिरिक्त, राज्य में कैण्ट बोर्ड क्षेत्रान्तर्गत लैन्सडाउन इत्यादि स्थानों में बस बड्डों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में कैन्टोनमेन्ट बोर्ड से वार्ता कर भूमि का चयन कर लिया जाय।

(7) जनपद चम्पावत में माँ पूर्णागिरी के दर्शन हेतु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश–विदेश से तीर्थयात्रियों के आगमन होने तथा टनकपुर के नेपाल सीमा से लगे हुए होने को ध्यान में रखते हुए टनकपुर में आधुनिक आई.एस.बी.टी. का निर्माण किया जाय जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

(8) काशीपुर में बस स्टेशन को अन्यत्र उपयुक्त भूमि पर स्थानान्तरित करने के लिए भूमि का प्रबन्ध किया जाय।

(9) बनबसा में सिंचाई विभाग की भूमि डिपो हेतु चिन्हित की जाय। पौड़ी में डिपो की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था की जाय तथा कोटद्वार में प्रस्तावित आई.एस.बी.टी. के भूमि विवाद के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाय।

(10) प्रदेश के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परिवहन निगम के स्वामित्त्व की परिसम्पत्तियों का नामान्तरण उत्तराखण्ड परिवहन निगम के नाम सुनिश्चित कराया जाय।

(11) विभिन्न स्थानों पर आई.एस.बी.टी. अथवा बस अड्डों के निर्माण हेतु भूमि का चिन्हीकरण उक्त स्थान की Suitability एवं Mobility के आधार पर किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक नहीं है कि केवल सरकारी भूमि पर बस अड्डे निर्माण का प्रस्ताव किया जाए अपितु अन्य वैकल्पिक भूमि पर भी विचार किया जा सकता है।

(12) वर्तमान में बस अड्डों का रख–रखाव भिन्न–भिन्न विभागों/निगमों/प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है। राज्य में सभी बस स्टेशनों के रख–रखाव हेतु एक ही एजेन्सी नामित किया जाना उपयुक्त होगा, इस हेतु परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(13) देहरादून नगर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। इस हेतु परिवहन, पुलिस एवं नगर विकास विभाग द्वारा योजना तैयार की जाए।

(14) राज्य में चारधाम यात्रा एवं पर्यटन की उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन बस अड्डों का भविष्य में विस्तारीकरण किया जा सके, ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाय।

(15) आई.एस.बी.टी. व बस अड्डों में जन सुविधाओं यथा स्वच्छता, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था के साथ ही कूड़े के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाय।

Generated from eOffice by NAND RAM SINGH, SO-TRANSPORT-NRS, SO-TRANSPORT, Transport Department on 05/12/2022 10:57 AM

/80758/2022

(16) राज्य में पर्यटन के दृष्टिगत आई.एस.बी.टी. व बस अड्डों का विकास इस प्रकार किया जाय जिसके तहत परिसर में होटल, कैफे के साथ–साथ यात्रियों के मनोरंजन इत्यादि की सुविधाएं तथा राज्य की कला, संस्कृति एवं उत्पादों से सम्बन्धित स्टॉल परिसर में विकसित किये जायं।

(17) निर्माणाधीन बस अड्डों के कार्यों में तेजी लाई जाय। साथ ही, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

ख. सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के सन्दर्भ में:–

(1) यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आगामी चारधाम यात्रा पर ट्रिप कार्ड जारी करने से पूर्व सभी चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक ही चालक द्वारा लगातार वाहन का संचालन न किया जा रहा हो, इस हेतु प्रथम एवं द्वितीय ट्रिप के मध्य कम से कम 1–2 दिवस का अन्तर रखा जाए।

(2) यात्रा मार्गों पर चालकों के विश्राम एवं ठहरने हेतु ड्राईवर शेल्टर की व्यवस्था की जाए।

(3) राज्य के सभी मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। उक्त कार्यवाही इसी माह पूर्ण कर ली जाए।

(4) विभागों द्वारा क्षेत्र विशेष में जो भी योजनाएं/ऑटोमेशन आदि का कार्य किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, माननीय विधायकों को भी अवगत कराया जाए।

(5) सड़क सुरक्षा हेतु लगातार जन–जागरूकता अभियान चलाया जाए।

(6) वन विभाग से सम्पर्क स्थापित करते हुए पर्वतीय मार्गों के किनारे बांस इत्यादि के वृक्ष लगाये जायं, ताकि दुर्घटना होने पर उसकी गम्भीरता को कम किया जा सके।

(7) वाहनों की फिटनेस जांच कड़ाई से की जाए और यदि कोई वाहन बिना फिटनेस संचालित पाया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि बैठक में लिए गए निर्णयों की त्रिस्तरीय समीक्षा की जाए जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में सचिव, परिवहन द्वारा, द्वितीय चरण में मा. परिवहन मंत्री जी द्वारा और अन्त में मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराई जाय।

4. अन्त में, मा. मुख्यमंत्री जी, मा. मंत्री जी, मा. विधायक एवं समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

Signed by Arvind Singh Hyanki
Date: 12-12-2022 17:20:22
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या : 1133 / 20(3) / 2021
देहरादून : दिनांक 05 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री जी को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, परिवहन मंत्री जी को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. मा. विधायक, विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर।
5. अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास एवं आवास, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/वन, उत्तराखण्ड शासन।
8. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, यातायात, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिलाधिकारी, देहरादून/उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
13. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार जोशी)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by NAND RAM SINGH, SO-TRANSPORT-NRS, SO-TRANSPORT, Transport Department on 05/12/2022 10:57 AM

Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: eicpwduk@nic.in**

पत्रांक– 1081 /76याता0'क'नियो0–1 / 2022 दिनांक– 30 .12.2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं का बिन्दुवार अक्षरशः अनुपालन कर तद्नुसार अनुपालन आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. समस्त मुख्य अभियन्ता सि0 / रा0मा0 / वर्ल्ड बैंक / ए0डी0बी0, लो0नि0वि0..... ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता सि0 / रा0मा0 / वर्ल्ड बैंक / ए0डी0बी0, ... वृत्त, लोक निर्माण विभाग..... ।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रा0 / नि0 / अ0 / रा0मा0 / वि0 / या0 / वर्ल्ड बैंक / ए0डी0बी0 खण्ड लोक निर्माण विभाग..... ।
4. अधिशासी अभियन्ता नियोजन–।/ ।।, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अधिशासी अभियन्ता आई0टी0सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
6. सहायक अभियन्ता रोड सैफ्टी सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नियोजन–।/ ।।, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/XII/2022

आर0सी0 कैलखुरा
अधिशासी अभियन्ता